न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 68/2019

वादी :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. रामचन्द्र पुत्र भोलाराम जाति माली, नि0 बेरा धारेश्वर, धन्धेड़ी तह0 सोजत जिला पाली।		1 ओमप्रकाश पुत्र भोलाराम जाति माली, नि0 बेरा धारेश्वर, धन्धेड़ी, तह0 सोजत जिला पाली। 2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।

दिनांक – 26.05.2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय वादी ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.20 है0 उक्त वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादस्थ आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की पुश्तैनी खातेदारी हक हकूक कब्जा काश्त की है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 शांतिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। उक्त कृषि भूमि वादी की पूश्तैनी कृषि भूमि है। राजस्व रेकर्ड सम्वत् 2033 से पूर्व उक्त कृषि भूमि भोलाराम पुत्र सुजाराम कौम माली के नाम से खातेदारी दर्ज चली आ रही है। वादी के नाबालिग अवस्था में वादी के पिता भोलाराम का स्वर्गवास हो चुका था। राजस्व रेकर्ड सम्वत 2033–52 में वादी के पिता भौलाराम पुत्र सुजाराम के स्थान पर सेटलमेट के दौरान राजस्व रेकर्ड में ओमप्रकाश, चन्दुलाल पि0 भोलाराम नाबालिग जरिए संरक्षक पतासी दादी कौम माली के नाम से दर्ज किया गया था। जिस समय वादी का उक्त नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया था, उस समय वादी नाबालिग था तथा वादी को उक्त नामान्तरण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही थी। चुंकि वादी नाबालिग अवस्था में चन्दु के नाम से जाना पहचाना पुकारा जाता था, जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में गांव वालो ने चन्दु नाम दर्ज करवा दिया था, जिस समय राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज किया गया उस समय वादी के पिता जीवित नही थे तथा वादी की दादी के द्वारा दर्ज करवाया गया था। उसके बाद वादी के अन्य दस्तावेज बनवाये गये थे। वादी के पहचान पत्र वर्ष 1995 में बनाये गये है जिसमें वादी का नाम रामचन्द्र पुत्र भोलाराम के नाम से है तथा वादी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, परिवारकार्ड एवं बैंक में रामचन्द्र पुत्र भोलाराम के नाम से है। चुकि नाबालिग अवस्था में वादी को चन्दु के नाम से जाना पहचाना जाता था, जिस वजह से राजस्व रेकर्ड में गांव वालो ने चन्दु नाम दर्ज करवा दिया। जिसकी जानकारी वादी को कतई नही थी। वादी से सभी दस्तावेज रामचन्द्र पुत्र भोलाराम के नाम से है, जिससे उक्त भूमि पर राज्य या केन्द्र सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं से वंचित होना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीदार, सोजत भूमिधारक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है, लेकिन वादी का वाद आवश्यक प्रकृति का है। इसलिए वादी को नोटिस की बाध्यता की छुट का प्रा0 पत्र धारा 80(2) सीपीसी के तहत वाद पत्र के साथ अलग से पेश है। वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा गुड़ाबच्छराज तह0 सोजत में होने से उक्त वाद न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता वादी ने राजस्व वादपत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.05 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भोलाराम दर्ज करवाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाकर खातेदारी घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने की माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के फरमाये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी जरिए सम्मन वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जबाब दावा पेश कर वाद पत्र के पद संख्या 01 को सही होना स्वीकार किया है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नंबर 401, 609 गुडाबच्छराज में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी की स्थित है। वाद पत्र के पद संख्या 02 सही होने से स्वीकार किया है। पद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि भोलाराम पुत्र सूजाराम जाति माली की खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। भोलाराम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के पिता है, सेटलमेंट के दौरान राजस्व रेकर्ड में भोलाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश एवं वादी का नाम चन्दुलाल के नाम से दर्ज कर दिया, उस समय वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 नाबालिग थे, इसलिए जरिए संरक्षक पतासी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की दादी थी, के नाम से दर्ज कर दिया गया। उस समय वादी नाबालिग थे, तथा उक्त नाम दर्ज करने की जानकारी वादी को नही थी, तथा उस समय वादी के पिता जीवित भी नही थे। वाद पत्र के पद संख्या 03 सही होने से स्वीकार है, वादी का सही नाम रामचन्द्र है, नाबालिग अवस्था में चन्दु के नाम से पुकारा जाता था लेकिन वादी के शुरूआती दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, पेनकार्ड, वाहनचालक अनुज्ञा पत्र वर्ष 1984 का, राशन कार्ड एवं वर्ष 1983 में जारी सुदा मकान का पटटा में भी वादी का नाम रामचन्द्र के नाम से अंकित है। वादी दोनो नामों से पूर्व जाना व पहचाना जाता था, वादी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम चन्दुलाल के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार की कोई आपति व उज्र–एतराज नही है, भोलाराम के दो ही पुत्र वादी रामचन्द्र व प्रतिवादी संख्या 01 ओमप्रकाश है। चन्दुलाल व रामचन्द्र दोनो नाम के एक ही व्यक्ति है। वाद पत्र के पद संख्या 4 से 07 कानूनी होना अंकित किया है। वादी चन्दुलाल के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज करवाने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने सहमति/स्वीकारोक्ति दी है।

प्रतिवादी संख्या 02 को तामिली सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 05.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2033–52, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2066–69, 2005 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की, सामिल मिसल है। पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, बैंकपासबुक की प्रतिया पेश की सा0मि0 है। वादी के बयान कलमबद्ध करवाये सा0मि0 है। प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात एवं प्रस्तुत शपथ पत्रों में अंकित तथ्यों, प्रमाणित जमाबंदीयों के होने से पृथक तनकीयात कायमी की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अधिवक्ता वादीगण ने शहादव वादीगण के मुख्यपरीक्षण हेतु वादी स्वयं का तस्दीक शुदा शपथ पत्र पेश किए मुख्य परीक्षण पर बयान पीडब्ल्यु–1 कलमबद्ध करवाये गए। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

गुडाबच्छराज की पर्चा खतौनी प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत 2046– 49 प्रदर्श–2, जमाबन्दी सम्वत 2050 –53 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2054–57 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2058–61 प्रदर्श–5, जमाबन्दी वर्ष 2005 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2066–69 प्रदर्श –7 है, पेश किये है। जिन्है प्रदर्शित करवाये गये जिरह प्रति शुन्य रही। शहादत प्रतिवादी पेश नहीं किये जाने से दिनांक 26.05.2022 को शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी 01 सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.05 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भोलाराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। प्रतिवादी ने भी वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि हो जाने से अपनी सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय शपथ पत्र, दस्तावेजात साक्ष्य सबूत बतौर प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता वादी तथा प्रतिवादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादस्थ भूमि के समस्त राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम चन्दुलाल दर्ज शुदा है। वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, राशनकार्ड, बैंकपासबुक में वादी का नाम रामचन्द्र अंकित है। इसी अनुरूप वादी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में भी दर्ज करवाना चाहता है। वादस्थ भूमि के सह खातेदार द्वारा अपने ईकबालिया जबाब में वादी की ईश्तदुआ अनुसार वाद डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया है। लिहाजा अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के वर्णित तथ्यों की शपथ पत्रों से संपुष्टि होने से स्वीकार किया जाना तथा सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 2.05 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भोलाराम घोषित किया जाना एवं इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.90 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भोलाराम नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी :–

1. रामचन्द्र पुत्र भोलाराम जाति माली, नि0 बेरा धारेश्वर, धन्धेड़ी तह0 सोजत जिला पाली।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 ओमप्रकाश पुत्र भोलाराम जाति माली, नि0 बेरा धारेश्वर, धन्धेड़ी, तह0 सोजत जिला पाली।

2. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 68 / 2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री महेन्द्र चौधरी तथा प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर सादिर की जाती है कि सरहद मौजा गुड़ा बच्छराज, प0ह0 चण्डावल स्टेशन तह0 सोजत के वर्तमान खाता संख्या 29 के खसरा नंबर 401, 609 कुल खसरा 02 कुल रकबा 3.90 है0 की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में चन्दुलाल पुत्र भोलाराम के स्थान पर रामचन्द्र पुत्र भोलाराम नाम घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत —

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 26.05.2022 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.